जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

बीकानेर

Rashtradoot

फोनः- 2200660 फैक्स : 0151-2527371 वर्षः 44 संख्याः 18 प्रभात बीकानेर, शुक्रवार 12 अगस्त, 2022 डाक प.स.बीकानेर/045/2020-22 पृष्ठ 6 मूल्य 1.20 रू.

क्या ममता बनर्जी भी मायावती की राह पर हैं?

मायावती की भांति ममता बनर्जी भी मोदी के प्रति ''सॉफ्ट'' होती जा रही हैं तथा विपक्ष की नेतागिरी करने का लोभ त्यागती जा रही हैं

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 11 अगस्त। राजनैतिक हल्कों में इस समय इस बिन्दु पर गहन बहस चल रही है कि क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी धीरे-धीरे किन्तु पक्के तौर पर उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के रास्ते का अनुसरण कर रही हैं।

अगर इन दोनों नेताओं के तौर-तरीकों पर बारीक नजर डाली जाये, तो एक रोचक पैटर्न सामने आता है जिसमें बहुत सारी सभावनाएं नजर आती हैं। ममता और मायावती दोनों ही बड़ी मेहनत और धैर्य के जरिये इस ऊँचाई पर पहुंची हैं तथा अपने-अपने दलों की ऐसी सर्वोच्च नेता बन गई हैं, जिन्हें पार्टी का कोई अन्य नेता चुनौती नहीं दे सकता।

ये दोनों उग्र नेता, हमेशा अपने राजनैतिक प्रतिद्वंद्वी का सीधे मुकाबला करती रही है, अब उन मुद्दों पर भी भाजपा तथा उसके नेतृत्व के प्रति नरम होती जा रही हैं, जिन मुद्दों का विरोध करते हुये, ये दोनों पहले जबरदस्त तरीके से दहाड़ रही होतीं थीं।

- कुछ समय पूर्व, जब वे दिल्ली आईं तो राष्ट्रपति मुर्मू से औपचारिक भेंट करके, केवल प्र.मंत्री मोदी से मिलने गयीं, किसी विपक्ष के नेता से नहीं मिलीं। जबकि इससे पहले दिल्ली यात्रा में उन्हें विपक्ष के नेताओं के बीच बैठकर नेतागिरी करने का खासा चाव था।
- ममता बनर्जी के ''सॉफ्ट'' होने के और भी प्रमाण हैं, उनके स्वयं के द्वारा प्रस्तावित विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को मझधार में छोड़कर राष्ट्रपति चुनाव में तृणमूल का अजीबोगरीब रूख।
- इसी प्रकार उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में भी ममता बनर्जी ने अपनी राह के सबसे बड़े कांटे, भाजपा के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ की खिलाफत का रूख छोड़, मतदान नहीं करने का निर्णय लिया।
- मायावती को प्रमुख रूप से भाजपा के प्रति सहानुभूति पूर्ण व मैत्री का रूख तब शुरू हुआ, जब उनके चहेते आई.ए.एस. अफसर नेतराम के घर इन्कम टैक्स विभाग ने छापा मारा। नेतराम मायावती के मुख्यमंत्री काल में मु.मंत्री कार्यालय में प्रमुख सचिव की हैसियत से पांच साल काम कर चुके थे।
- ममता बनर्जी का रूख भी बदलने लगा जब से दार्जीलिंग में उनकी राज्यपाल धनखड़ व आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा से मुलाकात हुई। ममता बनर्जी को यह स्पष्ट मैसेज दिया गया कि, वे अपनी राजनीति प्रदेश स्तर तक सीमित रखें। उनके लगभग आधा दर्जन मंत्रियों व अन्य नजदीकी पार्टी के नेताओं के पास आय से कई गुना अधिक सम्पत्ति रखने का पक्का मामला व कागजात इन्कम टैक्स व अन्य केन्द्रीय जांच एजेंसियों के पास हैं।

जहां भाजपा के प्रति मायावती की खामोशी तथा विनीत रूख 12 मार्च, 2019 के बाद शुरू हुआ, जब आयकर अधिकारियों ने उनके पूर्व सचिव नेतराम पर संदिग्ध टैक्स चोरी को लेकर छापे मारे थे, वहीं ममता का विनम्र रूख हाल ही में उस समय सामने आया, जब वाजपेयी सरकार में वित्त तथा विदेश मंत्री रहे यशवंत सिन्हा को हाल ही में हुये राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया था।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

उपराष्ट्रपति धनखड़

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 11 अगस्त। जगदीप धनखड़ ने बुधवार को भारत के राष्ट्रपति और राज्यसभा के पदेन सभापति बन गए। सुप्रीम कोर्ट के जाने-माने वकील और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल धनखड़ को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने

- नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा के पदेन सभापति जगदीप धनखड़ को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलवाई।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आंध्र को नोटिस

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 11 अगस्त। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाय.एस. जगनमोहन रेड्डी सरकार को लंदन की आर्किटैक्ट फर्म

- सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र सरकार से जवाब मांगा है कि, अमरावती की राजधानी क्षेत्र का मास्टर प्लान बनाने वाली कम्पनी लंदन आर्किटैक्ट को बकाया भुगतान क्यों नहीं किया गया।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'चुनाव के समय रेवड़ियाँ बांटना गलत'

सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, पर ऐसा करने वाली राजनीतिक पार्टियों पर प्रतिबंध लगाने से इंकार किया

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 11 अगस्त। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस बात से इन्कार कर दिया कि चुनावों में मतदाता को रिझाने के लिए मुफ्त सौगात (फ्रीबीज़) देने की घोषणा करने वाली पार्टियों की मान्यता रद्द कर दी जाए। मुख्य याचिकाकर्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने यह प्रार्थना की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सख्त शब्दों में कहा कि राजनैतिक दलों का मुफ्त सौगात बांटना एक गंभीर मामला है। इस संस्कृति पर रोक लगाई जानी चाहिए।

सुनवाई अगले बुधवार यानि 17 अगस्त को होगी, याचिका में मांग की गई थी। यह मामला विशेषज्ञ समिति को सौंपा जाए और वह असंगत सौगात बांटने पर विचार करे। इस विचार का सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी समर्थन किया। कोर्ट का कहना है कि सभी पक्षों की राय सुनने के बाद फैसला किया जाएगा कि विशेषज्ञ समिति का गठन हो या ना हो।

चीफ जस्टिस एन.वी. रमना ने कहा कि ''मैं मुफ्त सौगात देने वाली पार्टियों की मान्यता रद्द करने के क्षेत्र में जाना नहीं चाहता क्योंकि यह अलोकतांत्रिक है। आखिरकार हम लोकतंत्र हैं।''

जनकल्याणकारी योजनाओं और मुफ्त सौगातों में संतुलन बनाने की अपील करते हुए सी.जे.आई. रमना और जस्टिस कृष्ण मुरारी की दो सदस्यीय बैंच ने कहा कि यह सारी राशि इन्फ्रास्ट्रक्चर यानि बुनियादी ढांचे के विकास पर करनी चाहिए। उन्होंने कहा यह एक गंभीर विषय है, जिन्हें यह मिल रहा वे इसे चाहते हैं और हमारा लोक कल्याणकारी राष्ट्र है। कुछ लोग कह सकते हैं कि वे कर दे रहे हैं और इस राशि का इस्तेमाल विकास कार्यों में होना चाहिए। इसलिए इस मुद्दे की समीक्षा करने वाली प्रस्तावित कमेटी दोनों पक्षों को सुनेगी।

आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता के भाजपा से संबंध है और वह उन कल्याणकारी योजनाओं का विरोध करना चाहता है जिन्होंने समाज के कमज़ोर वर्गों का कायापलट कर दिया है इन योजनाओं को वे जानबूझ कर ''फ्रीबी'' (मुफ्त रेवड़ी) कह रहे हैं।

आम आदमी पार्टी की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पैरवी की और कहा कि मुफ्त शिक्षा, पेयजल और हैल्थकेयर प्रदान करना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है लेकिन कॉरपोरेट कर्ज माफ करना ''फ्रीबी'' (रेवड़ी) है।

आम आदमी पार्टी, जिसने उपाध्याय की पी.आई.एल. में हस्तक्षेप किया है, ने मांग की है कि लोक कल्याणकारी योजनाओं और मुफ्त सौगात में अंतर होना चाहिए तथा मुफ्त सौगात का नियमन किया जाए। कोर्ट ने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- आप की तरफ से बहस कर रहे अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि, ''रेवड़ियाँ'' बांटना गलत है, पर फ्री शिक्षा, पीने का पानी व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना रेवड़ियाँ बांटना नहीं है, यह ''वैलफेयर स्टेट'' की जिम्मेवारी है।
- सिंघवी ने यह भी कहा कि, जो वकील पार्टियों पर इन कामों के लिये प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं, वो भाजपा का खेल खेल रहे हैं तथा आप सरकार की इन ''वैलफेयर स्कीम'' को बंद करवाना चाहते हैं, क्योंकि ये लोकप्रिय हैं।
- सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष समिति गठित करने का भी आदेश दिया, जो दोनों पक्षों को सुनकर अपनी रिपोर्ट व सिफारिश देगी कोर्ट में।

बार एसोसिएशन

जयपुर, 11 अगस्त (का.सं.)। प्रदेश की किसी बार एसोसिएशन के सदस्य ने यदि एक से ज्यादा जगह पर बार एसोसिएशन में वोट डाला तो न तो वो किसी पद पर चुनाव लड़ पाएगा और ना ही अपना वोट डाल सकेगा। इसके अलावा उसकी सदस्यता भी तीन साल के लिए निलंबित हो जाएगी। प्रदेश में अधिवक्ताओं की नियामक संस्था बार काउन्सिल ऑफ राजस्थान (बी.सी.आर.) ने सितंबर 2017 के हाईकोर्ट

- हाई कोर्ट ने कहा, बार एसोसिएशन के सदस्य अगर एक से अधिक बार एसोसिएशन के चुनाव में वोट देते हैं तो उनकी सदस्यता तीन साल के लिए निलम्बित कर दी जाएगी।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीरभूम के जिलाध्यक्ष भी गिरफ्तार

अनुब्रत मंडल ने अपने आप को अपने विशाल बंगले में बंद कर लिया, जब सी.बी.आई. सैन्ट्रल रिज़र्व पुलिस के सिपाहियों को लेकर उनके निवास पर पहुंची, गिरफ्तार करने

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 11 अगस्त। इसमें चौंकने जैसी कोई बात नहीं है। कुछ गंभीर गलत कारनामों के चलते, तृणमूल कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता को गिरफ्तार किया जाना आजकल के सामान्य चलन का हिस्सा मात्र है। अणुब्रत मंडल, जो बीर भूम जिले के टी.एम.सी. अध्यक्ष तथा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बहुत करीबी नेता हैं, को आज उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया।

सत्तारूढ़ पार्टी ने मंडल की गिरफ्तारी के खिलाफ बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन किया तथा कहा कि यह सरकार का अस्थिर करने की कोशिश है।

गिरफ्तारी बड़े नाटकीय तरीके से हुई, क्योंकि मंडल ने स्वयं को अपने विशाल आवास में बंद कर लिया था तथा सारे दरवाजे अंदर से लॉक कर लिये थे। सी.बी.आई. उन्हें गिरफ्तार करने के लिये केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस की बहुत बड़ी टुकड़ी अपने साथ लेकर गई थी क्योंकि बंगाल पुलिस सी.बी.आई. का सहयोग नहीं कर रही थी।

- केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस को सी.बी.आई. साथ में इसलिये ले गयी, क्योंकि राज्य की पुलिस ने सहयोग करने से मना कर दिया था।
- अनुब्रत मंडल व उनके ''साथियों'' पर बंगलादेश मवेशी भेजने का आरोप है, सी.बी.आई. का कहना है, उसके पास पुख्ता प्रमाण हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

वरिष्ठ वकील व सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट धांधली रहित नहीं है!

दुष्यन्त दवे ने उदाहरण के रूप में कहा कि, कौन सा मुकदमा, कौन सी बैंच सुनेगी तथा यह मुकदमा कब सुनवाई के लिये लगेगा, इसमें काफी गड़बड़ी होती है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 11 अगस्त। सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ एडवोकेट दुष्यन्त दवे, जिन्हें यहां वकालत करते हुए तीन दशक से अधिक समय हो गया, तथा जो सर्वोच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं, ने सुझाव दिया है कि बैंच को सौंपा गया काम ऑटोमेटिक तथा कम्प्यूटराइज़्ड होना चाहिये, जिससे कि इस काम में मानवीय पसंद/नापसंद की गुंजाइश नहीं रहे। यह जिम्मेदारी रोस्टर के नियन्ता के रूप में मुख्य न्यायाधीश द्वारा नहीं किया जाना चाहिये।

''लाइव लॉ'' वेब मैग्ज़ीन को दिये

- दुष्यन्त दवे ने कहा कि, अगर धांधली नहीं होती तो, कैसे एक धनाढ्य, औद्योगिक घराने के नौ मामले सदा न्यायाधीश अरूण मिश्रा की बैंच में ही क्यों लगे। जब इस औद्योगिक घराने के पहले चार मुकदमों में न्यायाधीश अरूण मिश्रा की बैंच ने ही निर्णय सुनाये, तो मैंने (दुष्यन्त दवे) जून 2019 को इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखा। पर उसके बाद मुख्य न्यायाधीश गोगोई ने इसी घराने के पांच और मामले न्यायाधीश मिश्रा की बैंच को भेजे। क्या यह संयोग था कि, न्यायाधीश गोगोई की पुस्तक का विमोचन समारोह आयोजित हुआ जिसमें इस घराने के लोगों को बड़े आदर व प्रेम से आगे ही आगे बिठाया गया था।
- दुष्यन्त दवे ने यह भी कहा कि, केस की कब सुनवाई होगी, इसका निर्णय मनमाने ढंग से बड़े-बड़े वकीलों की वरिष्ठता आदि को ध्यान में रखकर होता है, इसका सबसे ज्यादा खामियाजा युवा, नये वकीलों को होता है, जिनके महीने में दो केस ही होते हैं और यह कहना संभव नहीं होता कि, ये केस कब लगेंगे। बड़े-बड़े वकील, जिनके महीने में पचार केस होते हैं, तुरंत अपने मुकदमों को लगवा लेते हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)